

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

दिल्ली राजपत्र

Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-26102026-277427
SG-DL-E-26102026-277427असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 321]	दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 23, 2026/कार्तिक 1, 1948	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 265
No. 321]	DELHI, FRIDAY, OCTOBER 23, 2026/KARTIKA 1, 1948	[N. C. T. D. No. 265

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHIविधि, न्याय और विधायी कार्य विभाग
अधिसूचना

दिल्ली, 23 अक्टूबर, 2026

फा. सं. एफ.1/11/2010-न्यायिक/अधी0वि0/2657-2659.— विधिक सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 8(ए) में अन्तर्विष्ट अनुबन्धों का अनुसरण करते हुए दिल्ली विधिक सेवाएं प्राधिकरण (संशोधित) (अधिनियम 2002 जिसे उच्च न्यायालय विधिक सेवाएं समिति, अधिनियमन 1998 के अधिनियम 3(3) के साथ पढ़ते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश ने दिनांक 24.09.2026 के अपने आदेश द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय विधिक सेवाएं समिति के निम्नलिखित नामित सदस्यों को दिनांक 26.09.2026 से एक वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया है:-

क्रम सं.	नामित सदस्य का नाम	वर्ग/ विनियम जिसके अंतर्गत नियुक्त किया गया है।
1.	प्रो. (डॉ.) पिकी गोस्वामी, पीएच.डी. प्रैक्टिसिंग मनोवैज्ञानिक, वरिष्ठ शैक्षणिक विशेषज्ञ, मानव संसाधन (एचआर) परामर्शदाता, कॉर्पोरेट प्रशिक्षक	विनियम 3(3) (ए) के वर्ग के अंतर्गत

2.	सुश्री बीनाशा एन. सोनी, वरिष्ठ अधिवक्ता	विनियम 3(3) (बी) के वर्ग के अंतर्गत
3.	डॉ. रचना भार्गव, पीएच.डी. नैदानिक मनोविज्ञान की प्रोफेसर, एनडीडीटीसी, एम्स, नई दिल्ली में मनोचिकित्सा एवं व्यवहार व्यसन क्लिनिक तथा किशोर क्लिनिक के अंतर्गत बाल मार्गदर्शन क्लिनिक की मनोविज्ञान प्रभारी	विनियम 3(3) (सी) के वर्ग के अंतर्गत
4.	प्रो. (डॉ.) अलका चावला पूर्व प्रभारी प्रोफेसर, कैंपस लॉ सेंटर, विधि संकाय, दिल्ली विश्वविद्यालय	विनियम 3(3)(डी) के वर्ग के अंतर्गत

आदेशानुसार

माननीय मुख्य न्यायाधीश

कावेरी बवेजा, प्रधान सचिव (विधि, न्याय एवं विधायी कार्य)

DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS**NOTIFICATION**

Delhi, the 23rd October, 2026

F. No. F.1/11/2010-Judl./Suptlaw/2657-2659.— In pursuance to the provision contained in Section 8A of Legal Services Authorities Act, 1987, as amended by Legal Services Authorities (Amendment) Act, 2002 read with Regulations 3 (3) of High Court Legal Service Committee, Regulations, 1998, the Hon'ble Chief Justice, High Court of Delhi vide order dated 24.09.2026 has been pleased to appoint following nominated Members of Delhi High Court Legal Services Committee for one year w.e.f. 26.09.2026:-

S. No.	Name of Nominated Member	Category/Regulation under which appointed
1.	Prof. (Dr.) Pinky Goswami, Ph.D. practicing Psychologist, Senior Academic Professional, HR Consultant, Corporate Trainer	Under Category 3 (3) (a) of the Regulations.
2.	Ms. Beenashaw N. Soni, Senior Advocate	Under Category 3 (3) (b) of the Regulations.
3.	Dr. Rachna Bhargava, Ph.D. Professor of Clinical Psychology, Psychology Incharge of Child Guidance Clinic in Psychiatry & Behavior Addiction Clinic & Adolescent Clinic in NDDTC, AIIMS, New Delhi	Under Category 3 (3) (c) of the Regulations.
4.	Prof. (Dr.) Alka Chawla, Former Professor-in-Charge, Campus Law Centre, Faculty of Law, University of Delhi	Under Category 3 (3) (d) of the Regulations.

By orders of Hon'ble Chief Justice

KAVERI BAWEJA, Pr. Secy. (Law, Justice & L.A.)